

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**॥ अ धि सू च ना ॥**

पटना-15, दिनांक : 19 सितम्बर, 2016

संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12727/श्री दीपक कुमार, भा0प्र0से0(बी एच : 84), महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12728/श्री रवि कान्त, भा0प्र0से0(बी एच : 84), अपर सचिव, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12729/डॉ० सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0(बी एच : 84), अपर सचिव एवं वित्तीय परामर्शी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12730/श्री अजय कुमार, भा0प्र0से0(बी एच : 84), अपर सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।


संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12731/श्री ए० संतोष मैथ्यू, भा0प्र0से0(बी एच : 85), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।



संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12732/श्री जे0 आर0 के0 राव, भा0प्र0से0(बी एच : 85), अपर सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12733/श्री रविन्द्र पंवार , भा0प्र0से0(बी एच : 85), संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0-80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
19/9/2016  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :: 1/सी0-1009/2015-सा0 प्र0-12733/पटना-15, दिनांक : 19 सितम्बर, 2016

**प्रतिलिपि :-** प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
19/9/16  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव